<u>महालेखाकार (लेप-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम</u>

<u>OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT - II), KERALA, THIRUVANANTHAPURAM</u>

सं.लेप-II/प्रशा. / एपीएआर/ स्पारो / 4-3/2024-25

No.Au II/Admn./APAR/SPARROW/4-3/2024-25 दिनांक: **02-09-2025**

<u>परिपत्र / CIRCULAR NO. 28</u>

विषय: स्पारो'(Smart Performance Appraisal Report recording Online Window) के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारीगण (वाणिज्यिक) से संबंधित वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के खुलासा करने के संबंध में

Sub: Disclosing Annual Performance Appraisal Report (APAR) in respect of Senior Audit Officers (Comml) for the year 2024-25 through SPARROW (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window)-reg;

कार्मिक,लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का.ज्ञा. सं. 21011/1/2005-Estt(A)(Pt-II) दि. 14-05-2009 के द्वारा जैसे कि अपेक्षित है, वाणिज्यिक संवर्ग के वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों से संबंधित विधिवत पूर्ण एपीएआर का खुलासा, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को स्पारो के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

Duly completed APARs in respect of Senior Audit Officers of Commercial cadre have been disclosed to the officers concerned through SPARROW for information and necessary action as required vide Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) OM.No. 21011/1/2005-Estt(A)(Pt-II) dated 14-05-2009.

खुलासा की गयी एपीएआर संबंधित अधिकारी के स्पारों खाते के इन बॉक्स में उपलब्ध होगी। अधिकारियों द्वारा एपीएआर की ग्रेडिंग स्वीकृत की जाए या प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर रिपोर्ट में दी गयी प्रविष्टियों तथा अंतिम ग्रेडिंग के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया जाए। अभ्यावेदन, रिपोर्ट में अंतर्निहित विनिर्दिष्ट तथ्यात्मक टिप्पणियों तक सीमित हो जिसके संदर्भ में अधिकारी के सहज गुणों, किए गए कार्य आदि का मूल्यांकन किया जाएगा और ऑफलाइन विधि से प्रस्तुत किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं किया जाता तो यह समझा जाएगा कि आप को कोई अभ्यावेदन नहीं देना है और एपीएआर की प्रविष्टियां एवं समग्र ग्रेडिंग को अंतिम माना जाएगा।

The disclosed APARs will be available in the inbox of concerned officers' SPARROW account. The officers may either accept the APAR grading or make representation against the entries and the final grading given in the Report, within a period of 15 days from the date of

receipt of the APAR. The representation shall be restricted to the specific factual observations contained in the report leading to assessment of the Officer in terms of attributes, work output, etc and shall be submitted through offline mode. In case no representation is received within 15 days, it shall be deemed that you have no representation to make and entries as well as overall grading in the APAR shall be treated as final.

(महालेखाकार के दि. 01-09-2025 के आदेशानुसार)
(Vide orders dated 01-09-2025 of Accountant General)

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी -I)
Senior Deputy Accountant General (Admin&AMG-I)

To

1. सभी समूह अधिकारीगण / All Group Officers
2. सभी वरिष्ठ अधिकारी (वाणि.) / All Senior Audit Officers(C)
3. वलेपअ एएमजी II (मुख्या.) I: क्षेत्रीय दलों में तैनात अधिकारियों को सूचित करने के लिए Sr.AO/ AMG II(HQ) I: to inform the Officers posted in the field parties
4. आईटी समर्थन कक्ष/ कार्यालय वेबसाईट / IT Support Cell/Official website
5. सूचनापट्ट /Notice Board